राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सर्क्यूलर/09/ 5143-7894 दिनांक 04-07-2012

~~समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान~~
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान

परिपत्र संख्या 25

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पारित करने के दौरान राज्य की भोपा, बागरिया, बंजारा, गडिया–लोहार, कंजर, सांसी, नट, मेव–मिरासी, जागा, जोगी, वाल्मिकी–हरिजन, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिस्ती आदि जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक रुप से अत्यन्त पिछड़े हुए परिवारों को भी मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत लाभ दिया जाने की घोषणा की गयी है।

वित्त विभाग ने आईडी क्रमांक 101201976, दिनांक 04.06.2012 के द्वारा राज्य की उक्त जातियों में मेव, मिरासी को अलग–अलग जाति मानने की सहमति प्रदान की है। उक्त जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए परिवारों की पहचान का आधार परिवार की मुखिया कि 1 लाख रूपयें वार्षिक आय रखा गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आईडी क्रमांक 101202314 दिनांक 26.06.2012 के द्वारा सहमति प्रदान की है।

अतः उक्त जातियों के अत्यन्त पिछड़े परिवारों को इस योजना का लाभ दिये जाने के लिये पहचान पत्र हेतु राशन कार्ड/चुनाव पहचान पत्र/किसान पासबुक/किसान क्रेडिट कार्ड/जमाबन्दी रसीद इत्यादि के साथ समुचित प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी एक लाख रुपये की सीमा तक वार्षिक आय प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं निवास का स्पष्ट अंकन हो के आधार पर लाभ दिया जावे।

मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों हेतु पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार ही योजना का लाभ दिया जाता रहेगा।

(बी0एन0 शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।

3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीया संसदीय सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निजी सचिव, सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
15. समस्त संभागीय आयुक्त / कलक्टर, राजस्थान।
16. आयुक्त / निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिविल लाईन्स फाटक के पास, जयपुर।
17. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
19. निदेशक, (बजट) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. निदेशक, आईईसी / जन स्वास्थ्य / परिवार कल्याण / एड्स, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
21. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम / एमएमजेआरके, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
22. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
23. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
24. संयुक्त निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
25. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
26. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
27. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अपने जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परिपत्र की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
28. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई–मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।
29. सलाहकार (आईटी) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन